



मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. गुलाबी पत्नी स्व0 श्री बालू चमार आयु वयस्क निवासी दूडिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. जमना लाल पुत्र स्व0 श्री बालू चमार आयु वयस्क निवासी दूडिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सायर पुत्री स्व0 श्री बालू चमार आयु वयस्क निवासी दूडिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भवाना पुत्र श्री सवाईराम चमार आयु वयस्क निवासी दूडिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रूकमणी पत्नी स्व0 श्री बालू चमार आयु वयस्क निवासी दूडिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री बालू चमार आयु वयस्क निवासी दूडिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. नन्दू पुत्री स्व0 श्री बालू चमार आयु वयस्क निवासी दूडिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

### वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 54 व 188 रा0 टि0 अधिनियम बाबत घोषणा, विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 202/2010 राजस्व वाद

वादीगण स्वयं एवं वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर लाल जाट उपस्थित नहीं — इस वाद में आज तारीख 22.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
22/11/24  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा